भारतीय जन संचार संस्थान

(भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान)

का

नागरिक घोषणापत्र

अरूणा आसफ अली मार्ग, जेएनयू न्यू कैंपस, नई दिल्ली - 110067

भारतीय जनसंचार संस्थान को यह जिम्मेवारी सौंपी गई है कि जनसंचार के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध का काम करे।

यह नागरिक घोषणा पत्र संस्थान से संबद्ध छात्रों, कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों तथा संस्थान की किसी भी गतिविधि से संबंद्ध व्यक्तियों के प्रति सेवा की प्रतिबद्धता जाहिर करता है।

विषय सूची

1. भारतीय जनसंचार संस्थान का दर्शन और लक्ष्य

2. भारतीय जनसंचार संस्थान की गतिविधियों का विवरण

3. उपभोक्ताओं का विवरण और प्रकार

4. भारतीय जनसंचार संस्थान की सेवाएं

5. नागरिकों और उपभोक्ताओं से अपेक्षाएं

6. शिकायत निवारण प्रक्रिया और पहुंच

7. नियमित मूल्यांकन हेतु अंतर्निहित कार्यक्रम

1. भारतीय जनसंचार संस्थान का दर्शन और लक्ष्य

1.1.1 भारतीय जन संचार संस्थान, जनसंचार के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध में एक राष्ट्रीय और विकसित उत्कृष्ट संस्थान है। इसका गठन आई.आई.एम.सी सोसायटी के रूप में किया गया है और यह 1860 सोसायटी पंजीकरण कानून(11) के तहत पंजीकृत है। सन् 1965 से ही सक्रिय यह संस्थान भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता से 22 जनवरी सन् 1966 से एक स्वायत्त इकाई के रूप में काम कर रहा है।

देश के पूर्वी क्षेत्र की जरूरत को महसूस करते हुए सन् 1993 में उड़ीसा के ढेंकनाल में इस संस्थान की एक शाखा शुरू की गयी। इसी तरह, दीमापुर (नागालैंड) और कोटायम (केरल) में सहयोगी केन्द्र शुरू किये गये ताकि उन क्षेत्रों की जरूरत के मुताबिक जनसंचार के क्षेत्र में प्रशिक्षण और शोध गतिविधियां चलाई जा सकें।

1.1.2 वे सभी छात्र जो संस्थान के शिक्षण, प्रशिक्षण में पंजीकृत हों या शोध कार्य में लगे हों, संस्थान की सुविधाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं। यह घोषणापत्र पारदर्शी, बराबरी, और जिम्मेवार तरीके से भारतीय जनसंचार संस्थान से जुड़े सभी व्यक्तियों के प्रति अपेक्षित सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जाहिर करता है।

1.1.3 जनसंचार, समाज/समुदाय ही नहीं बल्कि पूरे देश की समस्त विकास प्रक्रिया में व्यापक गतिविधि के रूप में उभरकर आया है। इसने अपना महत्व अर्जित किया है और देश भर के छात्रों के लिए एक आकर्षक क्षेत्र बन गया है। सूचना तकनीक में तेजी से हो रहे बदलावों ने भी मीडिया के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इसने जनसंचार माध्यम के शिक्षकों, छात्रों तथा अन्य पेशेवर लोगों के समक्ष बड़ी चुनौतियां रखी है ।

2. भारतीय जनसंचार संस्थान की गतिविधियों का विवरण

2.1.1 भारतीय जनसंचार संस्थान की मुख्य गतिविधियां इस प्रकार हैं:

क. देश के सामाजिक-आर्थिक विकास की जरूरत के विशेष संदर्भ में मीडिया के उपयोग और विकास हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध कार्यक्रमों का आयोजन करना।

ख. केन्द्र और राज्य सरकार के सूचना और प्रचार से जुड़े कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण मुहैया कराना, सार्वजनिक और निजी संस्थानों की सूचना व प्रचार संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण व शोध संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना।

ग. विश्वविद्यालयों, शिक्षा व शोध संस्थानों तथा व्यापार और उद्योग संस्थानों के साथ मिलकर जनसंचार, सूचना और प्रचार से जुड़ी समस्याओं पर व्याख्यानों, संगोष्ठियों और परिसंवादों का आयोजन करना।

घ. रिफ्रेशर पाठ्यक्रम, ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम का आयोजित करना। जनसंचार तथा विकास संचार के देशी व विदेशी विद्वानों को आमंत्रित कर उनके व्याख्यान करवाना तथा उनके लिए यथोचित मानदेय की व्यवस्था करना।

ड. सोसायटी के उद्देश्यों के प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक पत्रिका, मोनोग्राफ व पोस्टर तैयार कर उनको प्रकाशित करनाना।

च. सोसायटी के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकारी या गैर सरकारी अकादमिक संस्थाओं के साथ खुद जुड़ना और उनकी सहायता करना।

छ. जनसंचार के क्षेत्र में शोध व अध्ययन को प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार, स्कॉलरशिप, फेलोशिप तथा आर्थिक सहायता की शुरूआत करना।

ज. संस्थान जनसंचार के क्षेत्र में अधिकृत और प्रतिभू दोनों ही तरह के शोध कार्यक्रम व गतिविधियों को स्वीकार करता है।

3. ग्राहकों के विवरण व प्रकार

3.1.1 जनसंचार के अकादमिक व शोध के क्षेत्र में उत्कृष्ठ केन्द्र होने के नाते इसके अधिकांश ग्राहक इस प्रकार हैः

1. नियमित स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स में पंजीकृत छात्र

2. भारतीय सूचना सेवा के प्रतिनियुक्त (दो वर्ष के प्रशिक्षण हेतु) परिवीक्षार्थी अधिकारी।

3. विकासशील देशों के कार्यरत पत्रकार जो विकास पत्रकारिता तथा अन्य माध्यमों में पत्रकारीय कौशल बढ़ाने के इच्छुक हैं।

4. संस्थान के कार्यक्रम के मुताबिक चलने वाले अल्पकालिक कोर्स के लिए विभिन्न मीडिया संबंधी संगठनों के लोग जो केन्द्र, राज्य व निजी क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों से संस्थान में आते हैं।

5. संस्थान की ओर से आयोजित संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि में भाग लेने आने वाले आमंत्रित लोग और विशेषज्ञ।

6. भारतीय जनसंचार संस्थान के कर्मचारियों के अलावा ऐसे पेशेवर व्यक्ति व सलाहकार जो विविध संचार शोध कार्यक्रमों से जुड़े होते हैं।

7. भारतीय जनसंचार संस्थान के शिक्षक, सहायक कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी जो संस्थान द्वारा आवंटित कार्यों को संपन्न करते हैं और संस्थान की गतिविधियों को संचालित करते हैं।

8. भारत सरकार का विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और और विदेशों के इंडियन मिशन ।

4. भारतीय जनसंचार संस्थान की सेवाएं

4.1.1 स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमः

उन आकांक्षी स्नातकों की सेवा में जो पेशेवर मीडियाकर्मी बनना चाहते हैं, भारतीय जनसंचार संस्थान निम्नलिखित स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता हैः

क. पत्रकारिता(हिन्दी व अंग्रेजी) में स्नातकोत्तर उपाधि
ख. विज्ञापन और जनसंपर्क में स्नातकोत्तर उपाधि
ग. रेडियो और टी.वी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर उपाधि
घ. उड़िया पत्रकारिता में स्नातकोत्तर उपाधि

उपरोक्त सभी पाठ्यक्रम एक वर्ष की निर्धारित अवधि में संपन्न होते हैं अर्थात प्रत्येक वर्ष अगस्त से अप्रैल माह तक ।

4.1.2 उपरोक्त सभी स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रमों को उपयोगी, अर्थपूर्ण और मूल्यवान बनाने के लिहाज से भारतीय जनसंचार संस्थान के प्राध्यापक वर्ग और संबंधित क्षेत्र में काम करने वाले - मसलन प्रिंट मीडिया, इलेट्रॉनिक मीडिया, विज्ञापन, जनसंपर्क और विज्ञापन के विशेषज्ञों के साथ विस्तृत संवाद किया जाता है। जनसंचार उद्योग व इन संवादों से हासिल अनुभवों और ज्ञान के आधार पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संवर्द्धित किया जाता है ताकि छात्रों को अधिक व्यावहारिक और कार्यकारी माहौल का अनुभव मिल सके।

4.1.3 विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकन

उपरोक्त पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु, एक सुव्यवस्थित नामांकन प्रक्रिया अपनाई जाती है जो इस प्रकार हैः

(त्) नामांकन की सूचना राष्ट्रीय अखबारों व रोजगार समाचार में विज्ञापित की जाती है। यह सूचना संस्थान की वेब साइट ध्ध्ध्.त्थ्ह.दत्ह.त्द पर भी उपलब्ध होती है।

(त्त्) अलग-अलग पाठ्यक्रम के लिए तय किए गए आवेदन पत्र पर आवेदन लिए जाते हैं।

(त्त्त्) देश के विभिन्न केन्द्रों पर स्नातकोत्तर उपाधि में नामांकन के लिए न्यूनतम योग्यता को पूरा करने वाले छात्रों के बीच प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है।

(च) प्रवेश परीक्षा में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें समूह संवाद और साक्षात्कार के लिए दिल्ली और कोलकाता बुलाया जाता है।

(छ) छात्रों द्वारा प्रवेश परीक्षा, साक्षात्कार और समूह संवाद में प्रदर्शन के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाती है। और सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उपलब्ध स्थान के मुताबिक नामांकन दिया जाता है।

4.1.4 विभिन्न पाठ्यक्रमों में आरक्षित सीटों और शुल्क का ब्यौरा इस प्रकार हैः

आरक्षणः

15 फीसदी अनुसूचित जाति
7.5 फीसदी अनुसूचित जनजाति
1 फीसदी शारीरिक अशक्तता वाले व्यक्ति

शुल्कः

1. पत्रकारिता में स्नातकोत्तर उपाधि (हिन्दी और अंग्रेजी) - 23,000 रूपये मात्र
2. विज्ञापन और जनसंपर्क में स्नातकोत्तर उपाधि - 33,000 रूपये मात्र
3. रेडियो और टी.वी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर उपाधि - 52,000 रूपये मात्र
4. ओड़िया पत्रकारिता में स्नातकोत्तर उपाधि - 14,000 रूपये मात्र

सभी पाठ्यक्रम अगस्त में शुरू होकर अगले साल अप्रैल में समाप्त होते हैं। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए किसी भी अनुशासन में स्नातक होना अपेक्षित है। संस्थान के नियम-कानून के मुताबिक पाठ्यक्रम शुल्क में समय-समय पर बदलाव किया जा सकता है।

उम्रः 25 वर्ष से कम

4.2.1 भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) के अधिकारियों का प्रशिक्षणः

भारतीय सूचना सेवा, सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अधीन केन्द्र सरकार की सेवा है। इसके अधिकारियों का चयन लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त लोक सेवा परीक्षा के जरिये होता है। भारतीय सूचना सेवा के इन अधिकारियों को संस्थान में ‘फ़ाउंडेशन कोर्स इन कम्युनिकेशंस’ के जरिये संचार तकनीक की जानकारियां दी जाती हैं तथा उन्हें जन सूचना के प्रति उन्मुख किया जाता है। इस पाठ्यक्रम के तहत संस्थान अधिकारियों को 11 महीने तक परिसर में प्रशिक्षित करता है और शेष एक माह के लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय मीडिया संस्थानों के साथ काम करने का मौका देता है। संस्थान में दाखिले से पहले इन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री अकादेमी, मसूरी में लोक सेवा अधिकारियों के साथ साढ़े

तीन माह का फाउंडेशन कोर्स भी करना होता है। प्रशिक्षित अधिकारियों को केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों में पदस्थापित किया जाता है - यह सेवा बहु-अनुशासनात्मक होती है जिसमें मीडिया व जनसंचार के विविध प्रकार शामिल होते हैं।

4.3.1 विकास पत्रकारिता में उपाधि (डिप्लोमा) पाठ्यक्रमः

विकासशील देशों के पत्रकारों के लिए विकास पत्रकारिता का उपाधि पाठ्यक्रम संस्थान का एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम है। यह पाठ्यक्रम साल में दो बार होता है, कोर्स की अवधि चार माह की होती है। विकास पत्रकारिता के इस कोर्स का उद्देश्य पत्रकारों के कौशल को संवर्द्धित करना है।

4.4.1 लघु पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं, परिसंवाद और सम्मेलनः

भारत और विकासशील देशों के संदर्भ में जनसंचार के मुद्दों की बेहतर समझ बनाने में योगदान के उद्देश्य से संस्थान जनसंचार के विविध विषयों पर परिसंवाद, कार्यशालाएं और सम्मेलनों का आयोजन करता है। विभिन्न मीडिया इकाइयों के लोगों के लिए संस्थान नियमित रूप से अल्पकालिक अकादमिक कार्यक्रम भी चलाता रहता है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र से संबद्ध मीडिया व प्रचार पेशे से जुड़े लोगों के लिए यहां एक सप्ताह से लेकर तीन माह की अवधि वाले लघु समयावधि वाले विशिष्ट पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं। इसके अलावा सेना, अर्द्ध सैनिक बल और विश्व बैंक सहायता प्राप्त इकाइयां इस तरह के अल्पकालिक पाठ्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य से संपर्क करती रहती हैं। इस तरह की गतिविधियों से सूचनाओं, प्रबुद्ध विचारों के प्रसार में मदद तो मिलती है, संचार प्रक्रिया और देश के विकास के बारे में ठोस सैद्धांतिक सूत्र विकसित करने में भी सहायता मिलती है।

संस्थान में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ और महत्वपूर्ण मीडिया समूहों में कार्यरत लोगों को प्रासंगिक विषयों पर वार्ता और विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित किया जाता है। कुछ वर्षों में यह गतिविधि अभिव्यक्ति और विचारों के आदान-प्रदान का मंच बनाने में मददगार साबित हुई है। इसके अलावा संचार प्रक्रिया के बारे में ठोस अवधारणा बनाने और शोधकर्ताओं तथा विद्वतजनों के लिए संदर्भ सामग्री के रूप में भी इसका महत्व रहा है।

4.5.1 परामर्शः

संस्थान केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य अकादमिक इकाइयों और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों व एजेंसियों के आग्रह पर शैक्षणिक प्रशिक्षण और शोध के क्षेत्र में परामर्श मुहैया कराता है ।

4.6.1 शोध व मूल्यांकन अध्ययन

भारतीय जन संचार संस्थान, जनसंचार के क्षेत्र में शोध करने वाला विशिष्ट संस्थान है। संचार का व्यवस्थित अध्ययन संस्थान की अकादमिक लक्ष्य का अनिवार्य हिस्सा है और केन्द्र सरकार की मीडिया संबंधी नीति निर्माण का आधार भी। जनसंचार के क्षेत्र में प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान होने के नाते भारतीय जनसंचार संस्थान कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों, सरकारों और गैर सरकारी संस्थाओं के शोध कार्यक्रम लेता रहा है ।

4.7.1 प्रकाशन

प्रकाशन, संस्थान की प्रमुख गतिविधियों में से एक है। इस कार्यक्रम के तहत मुख्य रूप से परिसंवाद रपट, शोध अध्ययन, शिक्षण मैनुअल तथा संचार के विभिन्न पहलुओं से संबंधित पुस्तकों का प्रकाशन होता है । संस्थान दो अर्द्धवार्षिक जर्नल ‘कम्युनिकेटर’ (अंग्रेजी में) और ‘संचार माध्यम’ (हिन्दी में) प्रकाशित करता है। इनमें केवल संस्थान में चल रही अकादमिक गतिविधियों का ब्यौरा ही नहीं होता बल्कि संचार से जुड़े मुद्दों पर शोध सामग्री भी होती है। सभी प्रकाशन परिसर में ही तैयार किए जाते हैं और बिक्री हेतु संस्थान के विक्रय पटल पर उपलब्ध होते हैं। ये जर्नल और अन्य प्रकाशन डाक के जरिये भी मंगाए जा सकते हैं। संपर्कः

प्रभारी
प्रकाशन विभाग
भारतीय जन संचार संस्थान, न्यू जेएनयू कैंपस
अरूणा आसफ अली मार्ग
नई दिल्ली - 110067

4.8.1 पुस्तकालय और प्रलेखन

संस्थान में विशेष रूप से जनसंचार पर केन्द्रीकृत पुस्तकालय है। इसमें जनसंचार और संबंधित क्षेत्र की किताबों, पत्रिकाओं और वीडियो टेप का विस्तृत संग्रह है। प्रलेखन, समाचार पत्रों की कतरनों और सामयिक जानकारी सेवा पुस्तकालय के अन्य विशेष पहलू हैं। पुस्तकालय और दस्तावेजीकरण सुविधाओं की सेवाएं अपेक्षित शुल्क और निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए ली जा सकती है। पुस्तकालय सेवाओं के संपर्क सूत्रः

पुस्तकालयाध्यक्ष
भारतीय जन संचार संस्थान
न्यू जेएनयू कैंपस
अरूणा आसफ अली मार्ग
नई दिल्ली - 110067

5. ग्राहकों और नागरिकों से अपेक्षाएं

5.1.1 यह अपेक्षा की जाती है कि नागरिक और अन्य ग्राहक संस्थान की नियमावली और शर्तों के तहत संस्थान की विविध सेवाओं का लाभ उठा सकें। संस्थान अपनी वित्त समिति, अकादमिक परिषद, कार्यकारी परिषद और संचालक समिति (गवर्निंग बॉडी) के सुझावों और निर्देशों को मानता है।

6. शिकायत निवारण प्रक्रिया और पहुंच

6.1.1 भारतीय जन संचार संस्थान के मानकों के मुताबिक सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। और किसी भी तरह के असंतोष और शिकायत के समाधान के उपाय उपलबध होंगे । संस्थान का हर कर्मचारी संस्थान की सेवाओं के स्तर को सुधारने की कोशिश करेगा।

6.1.2 भारतीय जन संचार संस्थान के सभी कर्मचारी सोसायटी के नियम कानून के तहत निर्धारित कर्तव्य का समयानुसार पालन करके संस्थान की गतिविधि को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही संस्थान की सेवाओं की अपेक्षा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को आवेदन के स्तर पर ही यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अपेक्षित सारी जरूरतें पूरी हैं।

6.1.3 भारतीय जनसंचार संस्थान के शिकायत निवारण अधिकारी का पता हैः

कुलसचिव
भारतीय जन संचार संस्थान
न्यू जेएनयू कैंपस
अरूणा आसफ अली मार्ग
नई दिल्ली - 110067
दूरभाष - 26109268

6.1.4 कोई भी व्यक्ति जो भारतीय जन संचार संस्थान की सेवाओं से संतुष्ट नहीं है अथवा उसके किसी अन्य कार्य से पीड़ित है, उपरोक्त अधिकारी के जरिये शिकायत निवारण करा सकता है। ऐसा हरेक व्यक्ति 30 दिन के भीतर यह जानने का अधिकारी होगा कि उसकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई?

यदि कोई आम नागरिक या संस्थान अपनी शिकायत के मद्देनजर शिकायत निवारण अधिकारी से मिलना चाहे तो बिना किसी पूर्व अनुमति के सभी कार्यदिवसों पर अपराह्न तीन बजे से चार बजे के बीच मिल सकता है।

6.1.5 अगर शिकायतकर्ता, संस्थान के शिकायत निवारण अधिकारी की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो वह अपना मामला सूचना और प्रसारण मंत्रालय के शिकायत अधिकारी के पास ले जा सकता है। उनका पता हैः

संयुक्त सचिव (पी)
कमरा नं. 657
'ए' खंड, शास्त्री भवन
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग
नई दिल्ली 110001
दूरभाष - 23383857

अगर कोई भी व्यक्ति जो संस्थान द्वारा मुहैया की जा रही सेवाओं में सुधार के बाबत कोई सुझाव देना चाहता है तो उसे शिकायत अधिकारी के पते पर भेज सकता है अथवा संस्थान के स्वागत कक्ष में रखी सुझाव पेटी में डाल सकता है।

6.2.1 आंतरिक शिकायत प्रक्रिया को मजबूत करने के कार्यबिन्दु

6.2.2 संस्थान के अधिकारी शिकायत निवारण में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हैं। शिकायतों को यांत्रिक तरीके से निपटाने की बजाए संवेदनशीलता से काम लेते हैं खास तौर से महिला, विधवा या किसी अशक्त शिकायतकर्ता हो तो इसका विशेष खयाल रखा जाता है ।

6.2.3 संस्थान के स्वागत कक्ष में शिकायत निवारण अधिकारी का नाम, पदनाम, कमरा नंबर, फोन नंबर आदि स्पष्ट रूप से लिखकर प्रदर्शित किया गया है। लोक शिकायत निवारण प्रक्रिया का पर्याप्त प्रचार किया गया है। सर्वसुलभ जगह पर एक शिकायत पेटिका रखी गई है ताकि आम जन अपनी शिकायतें आसानी से दर्ज कर सकें।

6.2.4 शिकायतों का शीघ्रता से निबटारे के बाबत किये गए प्रयासों का ही परिणाम है कि शिकायत निवारण का औसत समय तीन माह से भी कम हो गया है। हरेक शिकायत अर्जी की पावती सूचना दी जाती है। किसी शिकायत अर्जी पर कार्रवाई की जरूरत नहीं भी हो तब भी शिकायतकर्ता को संस्थान की राय से अवगत करा दिया जाता है। प्राप्त शिकायतों का इस नजर से विश्लेषण किया जाता है कि उसमें बड़ी शिकायत क्षेत्रों को पहचाना जा सके तथा शिकायतों को कम करने के उपाय निकाले जा सकें।

6.2.5 फीडबैक प्रक्रिया और लगातार चौकसी से शिकायत निवारण तंत्र को इस तरह से मजबूत किया गया है कि समय से शिकायत निवारण संबंधी रपटों/रिटर्न को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में जमा किया जाए।

7. समयवार मूल्यांकन हेतु अंतर्निहित (इन-बिल्ट) सूची

7.1.1 प्रशासन, अनुमोदन और मूल्यांकन के उद्देश्य से मामले भारतीय जनसंचार संस्थान द्वारा गठित विभिन्न समितियों को भेजे जाते हैं जिनकी व्यवस्था - स्थाई वित्त समिति, अकादमिक परिषद, कार्यकारी परिषद के तहत की गयी है। इन समितियों की बैठक नियमित रूप से - तीन माह, छह माह में एक बार अथवा एजेंडे के मुताबिक होती है। गवर्निंग बॉडी की बैठक साल में एक बार होती है ।

7.1.2 किसी भी नागरिक द्वारा भारतीय जन संचार संस्थान के कार्य के बारे में की गई शिकायत की जांच पड़ताल संस्थान के शिकायत अधिकारी द्वारा की जाती है। और अगर जरूरी हुआ तो अंतिम निपटारे के लिए मामले को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के शिकायत अधिकारी के पास भेज दिया जाता है।

कार्यकारी परिषद

सोसायटी उसकी संपत्ति और आमदनी के सामान्य पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण और प्रशासन संबंधी अधिकार कार्यकारी परिषद के पास है। कार्यकारी परिषद सोसायटी की सारी शक्तियों का प्रयोग करेगी - पूर्ववर्ती के प्रति बगैर किसी आग्रह के - जिसमें शामिल है संपत्ति अधिग्रहित और बिक्री करने, प्रतिभूति के आधार पर या उसके बगैर कर्ज लेने, अग्रिम राशि मुहैया कराने और नियुक्तियां कराने की शक्ति।

नियमः

(त्) कार्यकारी परिषद को सोसायटी के नियम कानून बनाने का अधिकार होगा जो कि सोसायटी के प्रशासन व प्रबंधन संबंधी नियमों के संगत होगा। तथा समय-समय पर इन नियमों में हेर- फेर, संशोधित, निरस्त करने और बदल देने का अधिकार भी होगा।

(त्त्) पूर्ववर्ती व्यवस्था के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के ये नियम निम्न मामलों के लिए होंगेः

(क) बजट की तैयारी और स्वीकृति का आकलन, खर्चों की स्वीकृति, अनुबंधों को कार्यरूप देना, सोसायटी के धन का निवेश करना या ऐसे धन को बेचना अथवा अदल-बदल करना, लेखा व लेखा परीक्षण।

(ख) समय-समय पर गठित किये जाने वाले सलाहकार बोर्ड या समितियों के शक्ति, कार्य और उनके व्यवसाय संबंधी आचार और उनके सदस्यों के कार्यकाल का निर्धारण।

(ग) संस्थान व सोसायटी और उसके द्वारा बनाये गए विभागों व उनके रख-रखाव के लिए कर्मचारियों व अधिकारियों और नियुक्ति की प्रक्रिया तय करना।

(घ) सोसायटी के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की अवधि और शर्तें, पारिश्रमिक, भत्ता, अनुशासन के नियम और सेवा शर्तें तय करना।

(ड.) छात्रवृत्ति, शिक्षावृत्ति, रिफ्रेशर कोर्स, ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम, शोध कार्यक्रमों और परियोजनाओं, पुस्तकालय की स्थापना, कार्यशाला व प्रयोगशालाओं के लिए समय और शर्तों का निर्धारण।

(च) सोसायटी के उद्देश्य के लिए अगर जरूरी हो तो संचालन और व्यवस्थित प्रशासन के मामले।

इन नियम और विनियमों के अधीन, कार्यकारी परिषद या कोई व्यक्ति या निकाय जिसे कार्यकारी परिषद प्राधिकृत करती हो, को सोसायटी के काम-काज करने के लिए सभी प्रकार के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार होगा। और वह(बजट के भीतर) उनके पारिश्रमिक और कर्तव्यों का निर्धारण भी करेगा ।

जैसा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के निमय 34 में और भारतीय जनसंचार संस्थान के नियमावली में जिक्र है अगर संस्था के काम-काज के बाबत जरूरी लगता है तो अध्यक्ष, स्थाई समितियों के अलावा किसी भी तरह की समिति और उपसमितियां गठित कर सकता है।

संस्था के निदेशक की नियुक्ति केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के आधार पर कार्यकारी परिषद कर सकती है। उसके लिए समय व शर्तें भी केन्द्र सरकार द्वारा ही अनुमोदित होंगी ।